



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930

No. 745]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

New Delhi, the 30th May, 2008

का.आ. 1277(अ).—केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उप-धारा (1) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 1 जून, 2008 से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट कर की तीन प्रतिशत की दर को कम करके दो प्रतिशत करती है।

S.O. 1277(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby reduces the rate of tax as specified in sub-section (1) of Section 8 of the said Act from three per cent to two per cent with effect from 1st June, 2008.

[सं. 1/2008-के.बि.क.-फा. सं. 28/11/2007-एस.टी.]

[No. 1/2008-CST-F.No. 28/11/2007-ST]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

R. G. CHHABRA, Under Secy.